

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

समक्ष-डी0सी0थपलियाल

प्रकरण कमांक 27 / 2015 वैवाहिक

हकवेन्द्र सिंह पुत्र होतम सिंह कुशवाह आयु 24  
साल व्यवसाय मजदूरी निवासी ग्राम छरेंटा  
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

----- आवेदक

बनाम

श्रीमती आरती पत्नी हकवेन्द्र सिंह पुत्री श्री  
रामसिया कुशवाह आयु 23 साल व्यवसाय ग्रहणी  
निवासी ग्राम मेवाराम का पुरा तहसील अटेर  
जिला भिण्ड म0प्र0

----- अनावेदिका

---

आवेदक द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता  
अनावेदिका एकपक्षीय

---

//नि र्ण य//  
// आज दिनांक 18-9-20015 को पारित किया गया //

01 इस आदेश द्वारा आवेदक/याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें अनावेदिका/गैरयाचिकाकर्ता जो कि उसकी विवाहित पत्नी है उसे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कराए जाने की सहायता चाही गई है।

02. आवेदक/याचिकाकर्ता के द्वारा प्रस्तुत याचिका के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 26-6-12 को ग्राम मेवाराम का पुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह उपरांत

अनावेदिका आवेदक के साथ सुख पूर्वक ग्राम छरेंटा में रही । आवेदक के पिता द्वारा शादी में सोने के जेवरात चढाये गये थे जिसमें 4 चूड़ी सोनी की वजन 3 तोला, एक जंजीर सोने की वजन 2 तोला, 2 बाला कान के बजन 8 आना भर, चांदी की तोडिया बजन 250 ग्राम एवं एक मंगल सूत्र सोने का बजन 3 तोला चढाया था तथा एक गले का हार बजन 3 तोला तथा 4 सोने की अंगूठी बजन डेढ तोला अनावेदिका जब आवेदक के घर आई तब मुंह दिखाई में दिया गया था । विवाह के बाद जब अनावेदिका आवेदक के घर आई तो आवेदक के परिवार वालों ने उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा और अनावेदिका तब 8 दिन आवेदक के घर रही थी । उसके बाद 6 माह बाद गोने की विदा के बाद 10-12 दिन रही तथा दूसरी विदा में वह 20-25 दिन रही । अनावेदिका जब भी आवेदक के घर आई तब यह कहती थी वह गांव में नहीं रहेगी और आवेदक उसके साथ ग्वालियर चलकर रहे तब आवेदक ने कहा कि मालनपुर में मजदूरी करके वहीं रहेंगे तब आवेदक अनावेदिका के साथ मजबूरीवश मालनपुर में अपने परिवार से अलग रह कर लगभग 2 माह तब रहा लेकिन मालनपुर में रहने पर भी अनावेदिका आवेदक से कहती थी कि यहां मालनपुर में घूमने फिरने के लिये कुछ नहीं है ग्वालियर चलकर रहो तब आवेदक ने कहा कि ग्वालियर में कोई काम धंधा उसके पास नहीं है इसलिये ग्वालियर नहीं जा सकेंगे । उसके बाद से अनावेदिका आवेदक एवं उसके परिवारवालों से नाराज रहने लगी तथा कहती थी कि तुम मुझे ग्वालियर नहीं रखोगे तो वह तुम्हें एवं तुम्हारे परिवारवालों को झूठे दहेज के केश में अपने पिता व अपने परिवार वालों से मिलकर फसा दूंगी । इसके बाद अनावेदिका दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को ग्राम मेवाराम का पुरा परगना अटेर से चली गयी और जाते समय संपूर्ण सोने के जेवर भी अपने साथ ले गई । अनावेदिका के वापिस न आने पर आवेदक दिनांक 20-12-2013 को अनावेदिका को लेने उसके घर मेवाराम का पुरा गया तो उसने आने से इन्कार कर दिया तब आवेदक द्वारा दिनांक 30-12-2013 को अपने रिश्तेदारों को ले जाकर ग्राम मेवाराम का पुरा में पंचायत लगाई तब उस पंचायत में अनावेदिका तथा उसके पिता ने स्पष्ट कहा कि वह आवेदक के साथ नहीं रहेंगे । अनावेदिका के पिता भी कह रहे थे कि लडकी आरती की दूसरी जगह शादी करेंगे और तुम लोगों को झूठे दहेज के प्रकरण में फंसा कर 5 लाख रुपये बसूल करेंगे ।

03. आवेदक के द्वार पुलिस थाना एण्डोरी एवं भिण्ड पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र में आवेदन पत्र दिये थे जिसमें दिनांक 29-1-14 को राजीनामा हुआ था और अनावेदिका द्वारा आवेदक से समझौता होने के कारण साथ साथ रहने वाबत् राजीनामा हुआ जिसमें आवेदक एवं अनावेदिका के परिवारवाले भी मौजूद थे । इस कारण उक्त आधार पर दिनांक 15-4-14 को आवेदक द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदनपत्र बल न देने के

कारण निरस्त करा लिया था । इसके बाद अनावेदिका 5-6 माह तक ठीक से रही और उसके बाद फिर से उसने पूर्व की भांति आवेदक एवं उसके परिवारवालों से लड़ाई झगडा करना शुरू कर दिया और पूर्व की भांति झूठे दहेज एक्ट में फसाने की धमकी देने लगी और दिनांक 15-10-14 को अपने पिता के साथ मायके चली गई तब से लोटकर नहीं आयी । आवेदक कई बार उसे लेने भी गया किन्तु उसने आने से साफ इन्कार कर दिया । अनावेदिका के गर्भ में आवेदक का बच्चा है जिसे अनावेदिका एवं उसके माता पिता मिलकर गिराना चाहते हैं जिसकी शिकायत भी आवेदक के द्वारा पुलिस अधिकारियों से की थी । अनावेदिका आवेदक को बिना किसी युक्ति युक्त कारण से सहचर्य से बंचित कर दिया है जबकि आवेदक अनावेदिका को अपने साथ रखने के लिये तैयार है । आवेदक ग्राम छरेंटा परगना गोहद का स्थायी निवासी है इस कारण न्यायालय को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होना बताते हुए वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना कराए जाने की डिक्री प्रदान किए जाने का निवेदन किया है ।

04. अनावेदिका न्यायालय के द्वारा रजिस्टर्ड समंस जारी किए जाने के उपरांत उसकी तामीली पर उपस्थित न होने के कारण दिनांक 8.09.15 को न्यायालय के द्वारा अनावेदिका के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई ।

05. आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र के संबंध में मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि—

- 1—क्या अनावेदिका आवेदक से युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारण के बिना पृथक रह रही है ?
- 2—क्या आवेदक वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना करा पाने का अधिकारी है ?

—::सकारण निष्कर्ष::—

06. याचिकाकर्ता/ आवेदक की ओर से अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं हकवेन्द्र सिंह साक्षी क्रं01 का तथा होतम सिंह कुशवाह आ.सा. 2 के शपथपत्र पेश किए हैं । आवेदक हकवेन्द्र सिंह के द्वारा अपने शपथपत्र में दिए गए साक्ष्य में आवेदनपत्र के अभिवचनों का समर्थन करते हुए बताया है कि उसका विवाह गैरयाचिका कर्ता के साथ दिनांक 26-6-12 को ग्राम मेवाराम का पुरा तहसील अटेर जिला भिण्ड में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था । विवाह उपरांत अनावेदिका आवेदक के साथ सुख पूर्वक ग्राम छरेंटा में रही । आवेदक के पिता द्वारा शादी में सोने के जेवरात चढाये गये थे जो कि कण्डिका-2 में दर्शाये अनुसार जेवरात चढाये गये थे । विवाह के बाद जब अनावेदिका आवेदक के घर आई तो

आवेदक के परिवार वालों ने उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा और अनावेदिका तब 8 दिन आवेदक के घर रही थी । विवाह के बाद अनावेदिका आवेदक के यहां आती जाती रही थी । अनावेदिका जब भी आवेदक के घर आई तब यह कहती थी वह गांव में नहीं रहेगी और आवेदक उसके साथ ग्वालियर चलकर रहे तब आवेदक ने कहा कि मालनपुर में मजदूरी करके वहीं रहेंगे तब आवेदक अनावेदिका के साथ मजबूरीवश मालनपुर में अपने परिवार से अलग रह कर लगभग 2 माह तब रहा लेकिन मालनपुर में रहने पर भी अनावेदिका आवेदक से कहती थी कि यहां मालनपुर में घूमने फिरने के लिये कुछ नहीं है ग्वालियर चलकर रहो तब आवेदक ने कहा कि ग्वालियर में कोई काम धंधा उसके पास नहीं है इसलिये ग्वालियर नहीं जा सकेंगे । तब से अनावेदिका आवेदक एवं उसके परिवारवालों से नाराज रहने लगी तथा कहती थी कि तुम मुझे ग्वालियर नहीं रखोगे तो वह तुम्हें एवं तुम्हारे परिवारवालों को झूठे दहेज के केश में अपने पिता व अपने परिवार वालों से मिलकर फसा दूंगी । इसके बाद अनावेदिका दिनांक 13 दिसम्बर 2013 को ग्राम मेवाराम का पुरा परगना अटेर से चली गयी और जाते समय संपूर्ण सोने के जेवर भी अपने साथ ले गई । अनावेदिका के वापिस न आने पर आवेदक दिनांक 20-12-2013 को अनावेदिका को लेने उसके घर मेवाराम का पुरा गया तो उसने आने से इन्कार कर दिया तब आवेदक द्वारा दिनांक 30-12-2013 को अपने रिश्तेदारों को ले जाकर ग्राम मेवाराम का पुरा में पंचायत लगाई तब उस पंचायत में अनावेदिका तथा उसके पिता ने स्पष्ट कहा कि वह आवेदक के साथ नहीं रहेगी और उसके द्वारा दहेज का झूठा केश लगाने की धमकी और दूसरी जगह शादी कर लेने की धमकी दी गयी थी ।

07. उसके उपरांत आवेदक की ओर से जिला जज महोदय भिण्ड के न्यायालय में एक आवेदनपत्र धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अनावेदिका के विरुद्ध प्रस्तुत किया । इसी दौरान आवेदक के द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी एवं भिण्ड पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र में आवेदनपत्र दिये थे जिसमें दिनांक 29-1-14 को राजीनामा हुआ था जिसमें उन लोगों के परिवार वाले भी मौजूद थे । उक्त आधार पर दिनांक 15-4-2014 को आवेदक द्वारा धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का आवेदनपत्र बल न दिये जाने के कारण निरस्त करा लिया था । इसके बाद अनावेदिका आवेदक के साथ 5-6 माह तक ठीक से रही और उसके बाद फिर से उसने पूर्व की भांति आवेदक एवं उसके परिवार वालों से लड़ाई झगडा करना शुरू कर दिया और पूर्व की भांति झूठे दहेज एक्ट में फसाने की धमकी देने लगे और दिनांक 15-10-14 को अपने पिता के साथ मायके चली गई तब से लोटकर नहीं आयी । अनावेदिका के करीब 7 माह का गर्भी भी है इस कारण आवेदक उसे लेने दिनांक 10-4-15 को मेवाराम

का पुरा लेने गया लेकिन अनावेदिका एवं उसके माता पिता के द्वारा उसे भेजने से साफ इन्कार कर दिया और उसके गर्भ की सफाई कराने की कह रहे थे ।

08. आवेदक के द्वारा अपने आवेदनपत्र के पक्ष समर्थन में पूर्व में एक दावा प्र0कं0 1/14 वैवाहिक भिण्ड न्यायालय में पेश किया था जिसकी आदेश पत्रिका दिनांक 15-4-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी01 तथा दावे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0 2, प्र0पी01 के द्वारा प्र0पी02 का दावा बल न देने से निरस्त कराया गया था, परिवार परामर्श केन्द्र जिला भिण्ड के समझौते की असल प्रति प्र0पी03, जिसकी फोटो प्रति प्र0पी03 सी जिसके की ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और बी से बी भाग पर आरती के हस्ताक्षर हैं, परिवार परामर्श केन्द्र में राजीनामा होने के बाद पुनः आरती बिना किसी युक्ति युक्त कारण के अपने पिता के घर चली गयी जिसके संबंध में उसके द्वारा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को रजिस्ट्री से रिपोर्ट की गयी जो प्र0पी0 4, जिसकी फोटो प्रति प्र0पी0 4 सी है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, स्पीड पोस्ट रशीद संख्या 1 लगायत 7 जो एक पृष्ठ पर लगी है क्रमशः प्र0पी0 5 लगायत 11 हैं के दस्तावेज उसके द्वारा पेश किये गये हैं ।

09. आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त शपथ पत्र का कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण के आभाव में उपरोक्त शपथपत्र में किया गया कथन अखण्डनीय रहे है। उक्त शपथपत्र में किया गया कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है।

10. आवेदक हकवेन्द्र सिंह के द्वारा किये गए कथन की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी होतम सिंह कुशवाह आ.सा. 2 जो कि आवेदक का पिता है के कथनों से भी आवेदक के द्वारा किये गए उपरोक्त अभिकथनों का समुचित रूप से समर्थन या सम्पुष्टि हुई है, उक्त साक्षीगण का भी कोई प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी के कथन भी प्रतिपरीक्षण के अभाव में अखण्डनीय रहे है।

11. इस प्रकार आवेदक पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य जिसमें आवेदक हकवेन्द्र सिंह का अखण्डनीय साक्ष्य जिसकी सम्पुष्टि अन्य साक्षी होतमसिंह कुशवाह आ.सा. 2 के कथनों से भी होती है। उक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित होना पाया जाता है कि अनावेदिका के द्वारा आवेदक का बिना किसी युक्तियुक्त एवं पर्याप्त कारणों से परित्याग किया गया है तथा आवेदक को वह दाम्पत्य संबंधों से बंचित किए हुए है।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत वर्तमान याचिका अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुए इस संबंध में निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है :-

1—अनावेदिका जो कि आवेदक की विवाहित पत्नी है, वह आवेदक के पास आकर मय जेवरात रहकर पत्नी धर्म का पालन एवं दाम्पत्य संबंधों की पुनर्स्थापना करे।

2—प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार उभयपक्ष अपना अपना व्यय स्वयं बहन करेंगे।

3—अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर सूची मुताविक जो भी हो दी जावे।  
तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर जिला जज गोहद  
जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर जिला जज गोहद  
जिला भिण्ड